पटना में दिनांक–05 नवम्बर, 2014 बुधवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग		
1.	अंजुमन तरक्की–ए–उर्दू, बिहार, पटना को नियमित कर्मियों के वेतनादि का भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में सहायक अनुदान–वेतन मद में उपबंधित कुल रू० 8.00 लाख (आठ लाख रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	1.	स्वीकृत।
	गन्ना उद्योग विभाग		
2.	स्व० अब्दुल अहद, भूतपूर्व जनसेवक, ईख विकास, बेतिया के द्वारा नगर निकाय चुनाव–2007 में चुनाव कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति के पश्चात् चुनाव कार्य संपन्न करा कर बगहा से बेतिया लौटने के क्रम में बगहा रेलवे स्टेशन पर दिनांक–26.05.2007 को ट्रेन से गिरने के उपरांत दिनांक–01.06.2007 को पी०एम०सी०एच०, पटना में ईलाज के दौरान मृत्यु होने के कारण उनके आश्रित को विशेष परिस्थिति में अनुग्रह अनुदान के रूप में 10.00 लाख (दस लाख) रू० स्वीकृति किये जाने के संबंध में।	2.	स्वीकृत।
	सामान्य प्रशासन विभाग		
3.	बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–20 पर दर्ज "अवध बनिया" जाति को विलोपित कर उसे अत्यंत पिछड़ें वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–124 पर स्वतंत्र रूप से शामिल करने के संबंध में।	3.	स्वीकृत।
	पर्यावरण एवं वन विभाग		
4.	राज्य सरकार के द्वारा पथ तट तथा नहर तट की भूमि को सुरक्षित वन घोषित करने संबंधी अधिसूचना में वर्णित भूमि, वन क्षेत्र या बंजर भूमि है अथवा नहीं के जाँच करने के निमित्त, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति के गठन करने संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति।	4.	स्वीकृत।
	जल संसाधन विभाग		
5.	जल संसाधन विभाग के द्वारा वर्ष 2012 में संविदा के आधार पर नियोजित 114 कनीय अभियंता (असैनिक) का एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए पुनर्नियोजन।	5.	स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन)

16.	श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन पक्ष) के गैर–योजनान्तर्गत क्षेत्रीय उपनिदेशक (नियोजन) के कार्यालयों के लिए कुल (15) पन्द्रह अराजपत्रित कोटि के पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	16. स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

17.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 की धारा 17 (3) के तहत बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन 2014 की प्रति के साथ सरकार का व्याख्यात्मक संलेख बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के पटल पर रखने हेतु सरकार के व्याख्यात्मक संलेख की स्वीकृति के संबंध में।	17. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

18.	शेट्टी आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि देने के संबंध में।	18. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

19.	सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ सं॰–10032/2009 में दिनांक–18.03.2013 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति/प्रोन्नति की प्रभावी तिथि तय करने हेतु गठित माननीय सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री एस०एन०झा की अध्यक्षता में कार्य सम्पादन हेतु समिति के अध्यक्ष एवं अनुसचिवीय कर्मियों की मानदेय की स्वीकृति तथा अगस्त 2014 से जनवरी 2015 तक अवधि विस्तार प्रदान करने के संबंध में।	19. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

20.	मधुबनी जिला के झंझारपुर अंचल के मौजा–कोठिया नारायणपुर, थाना संख्या–170, खाता संख्या–528 पुराना–1405 नया, खेसरा संख्या–1038 पुराना, 1311 नया, रकबा–0.52 एकड़ (बावन डिसमिल) किस्म गैरमजरूआ खास पोखर भिन्डा भूमि 15,60,000/–(पन्द्रह लाख साठ हजार रूपए) सलामी एवं सलामी के 5 प्रतिशत का पच्चीस गुणा अर्थात 19,50,000/–(उन्नीस लाख पचास हजार रूपया) पूंजीकृत मूल्य सहित कुल–35,10,000/–रू० (पैंतीस लाख दस हजार रूपया) का भुगतान राज्य योजना मद से करने पर नार्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, पटना को 33/11 के०भी०ए० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु स्थायी हस्तान्तरण।	20. स्वीकृत।